

उपरोक्त विषय संबंधी भी प्रकाशित होना चाहिए।

कक्षा: 6 टी0टी0 संत 500
कक्षा: 6 टी0टी0 संत 500

(द) प्रत्यक्ष

श्री

(ख) आधुनिक उपकरणों की मांग

सिखित सामग्री

(ग) मूल्य कक्ष माल

इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण।

(घ) उत्पादन

इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ग्राम-सरसावा,
सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।

(क) स्थल

— है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विधि विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा

की जाती है।

सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ शर्त अनापत्ति स्वीकृत
उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विधि शर्तों एवं
संदर्भों। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा केंद्र अगत है कि
केंद्र पर्यावरणीय विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2011 प्राप्ति का
महोदय,

सहमति।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण
निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना हेतु

लखनऊ।

ग्राम-सरसावा, सुल्तानपुर रोड,

इंटीग्रेटेड टाउनशिप,

श्री आनंद सिटी,

श्री

सदर सखी

C 51 N C. 538/12

दिनांक 10/1/12
श्री अश्वि-03 वर्ष

गोमती नगर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पिकप भवन पृथिवी तल, बी-ब्लॉक, विभागाध्यक्ष,
लखनऊ



अप्रतिष्ठित जमाना 22.18 टना/दिना का अनुमान है उचित ढंग से प्रयोग करने पर उपरोक्त मात्रा में प्रस्तावित कुल आबादी लगभग 30,000 से अधिक नष्ट होना संभव है।

15. परिस्थिति में प्रस्तावित कुल आबादी लगभग 30,000 से अधिक नष्ट होना संभव है।
14. टाउनशिप स्थापना से पूर्व पर्याप्त प्रशासित से अनुपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
13. एसटी0पी0 से जनित श्रद्धांशित उत्पन्न होने को अधिकतम मात्रा में रोकना एवं ही अन्तिम निस्तारण हेतु दिया जाएगा।
12. प्रस्तावित 500 क्वी0एच0 सेट पर राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार खान/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा तथा टी0पी0 सेट से जनित निषयाज्य आयल को प्राधिकृत संस्था को कृप से सुरक्षित रखा जाएगा।
11. हाइड्रिक टाउनशिप स्थल पर अधिक पैड़ है, जिन्हें सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा तथा पैड़ काट जाने की दशा में वन विभाग से अनुपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं टाउनशिप के स्थल में पड़ने वाले तालाबों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।
10. प्रस्तावित ग्रूप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुसार प्रत्येक ग्रूप हाउसिंग पर उचित रकम का एसटी0पी0 स्थापित करना अनिवार्य होगा तथा उक्त के संबंध में तकनीकी प्रस्ताव लागत सहित विवरण के साथ एक माह में जमा किया जाना होगा।
9. स्थल पर कुल क्षेत्रफल 410735.38 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।
8. प्रस्तावित कम्प्लेक्स द्वारा प्रस्तावित प्रमाण मूल्यांकन रिपोर्ट की शर्तों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें।
7. स्थल पर निर्माण कार्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र पर अधिकतम प्रस्तावित की जाए।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित श्रद्धांशित सयत तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 28.02.2012 तक मानकों के अनुसार श्रद्धांशित कर निस्तारित किया जाए।
5. धरल उत्पन्न होने की मात्रा 2170.751 क्वी0एच0 से अधिक नहीं होगी। तथा 3.0 एस0एल0डी0 के एसटी0पी0 के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का पूर्व सूचना के विधिक कार्यावली की जा सकती है।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विकसित बिना किसी दिया जाए। यदि उद्योग उत्पादन नहीं करता है तो उक्त प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में आवेदन ही जमा कर कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल

16. टाउन शिप में स्थापित किये जा रहे 58 नलकूपों का तकनीकी विवरण तीन माह में प्रस्तुत करे तथा भू-जल से आपूर्ति हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्वनिर्माणा प्राप्त करेगा।

17. प्रस्तावित अस्पताल से जलित जैव बिकिसा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था स्थापित किये जाना अनिवार्य होगा। अस्पताल में इन्फीनिरेटर स्थापित नहीं किया जायेगा।

18. इकाई में बाहरी की नियंत्रण हेतु उचित पार्किंग की व्यवस्था स्थापित किया जाना अनिवार्य है तथा इस संबंध में याता-यात विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

19. हाईटेक टाउन शिप द्वारा पयविरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अर्कम में स्टेट लेबल एक्सपर्ट अग्रजल कमेटी, उत्तर प्रदेश से पर्यावरणीय क्लीयरन्स प्राप्त किया जायेगा।

20. टाउन शिप निमाण के दौरान आकस्मिक दुर्घटना से निपटने हेतु परिसर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन ताल-मेल बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. टाउन शिप स्थल पर निमाण कार्य के दौरान जलित होने वाले धूल आदि प्रदूषणकारी वायु उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु आवश्यक बैरिकेटिंग एवं जल का छिड़काव किया जायेगा।

22. नगरीय बीस अपशिष्ट(प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1989 का तत्पश्चात प्रस्थापित 2000 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

23. टाउन शिप स्थल पर नियमानुसार रेन वाटर ड्रावैस्टिंग व्यवस्था स्थापित करे।

24. टाउन शिप स्थल से जलित होने वाले श्रद्धीकृत उत्सवाह का प्रस्तावानुसार शीनवेस्ट एवं ग्राइनिंग हेतु प्रयोग करे इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तीन माह में बाई के अनुमोदनाथ प्रस्तुत करे।

25. टाउन शिप स्थल से जलित होने वाले श्रद्धीकृत उत्सवाह का प्रस्तावानुसार शीनवेस्ट एवं ग्राइनिंग हेतु प्रयोग करे इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तीन माह में बाई के अनुमोदनाथ प्रस्तुत करे।

उपरोक्त अंकित शर्तों में से कम से 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 23, 25 पर अंकित शर्तों सबदेनशील श्रेणी की उक्त समय बद्ध रूप से अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से रूपय दस लाख की बैंकगारन्टी बांछित है उपरोक्त बैंकगारन्टी संलग्न बैंकगारन्टी प्रारूप में अंकित करके 15 दिन के अन्दर राज्य बाई में जमा करना सुनिश्चित करे अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिक किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दे कि उपरोक्त विहित विधिगत शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सततपालनक अनुपालन न करने पर बाई द्वारा जलित अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बाई का अधिकार संश्लेषण है कि अनुपालन की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(संक्र-5)

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र,
2. उपरक्षक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
3. उपकर अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5.

प्रतिनिधि:

पृष्ठंकन सं०

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

~~सदस्य, प्राधिकरण~~

भारतीय

उपर्युक्त विहित एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय
अनुपालन आख्या अथवा अर्जुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।
दिनांक 28.02.2012 तक प्रथम अनुपालन आख्या अथवा अर्जुपालन आख्या प्रेषित की जाए।
अनुपालन आख्या अथवा अर्जुपालन आख्या अथवा अर्जुपालन आख्या प्रेषित कर दी
जाएगी।